

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का०आ०सं०-4/स्था० (विविध) मु० 06-10/2019

/पटना, दिनांक 02/01/21

कार्यालय आदेश - 03

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत मुख्यालय एवं उपभागीय कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदात्मक पदों पर नियोजित महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) लगातार दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भाँति दिया जाता है।

2) इस विशेष अवकाश की स्वीकृति आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी में निहित होगी।

3) प्रस्ताव में सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजीव कुमार)
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, सभी उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/ अवर सचिव (लेखा)/रोकड़शाखा (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संविदा महिला कर्मों, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(संजीव कुमार)
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 26(S)

/पटना, दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।